रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21, 1984/माघ 1, 1905

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 21, 1984/MAGHA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1984

का० आ० 35(अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/84.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 583 (अ)-18क/आई०डी०आर०ए०/77-तारीख 23 जुलाई, 1977 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स प्रिय लक्ष्मी मिल्स, बड़ौदा, गुजरात नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क के अधीन इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था और गुजरात स्टेट टैक्सटाईल कारपोरेशन को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 521 (अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/82 तारीख 22 जुलाई, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 22 जनवरी, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छः मास की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 28 (अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/83, तारीख 19 जनवरी, 1983, द्वारा उक्त आदेश की अवधि 22 जुलाई, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी।

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 515 (अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/83, तारीख 21 जुलाई, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 21 जनवरी, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार, की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 21 जुलाई, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 21 जुलाई, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 3 (4)/75-सी०यू०एस०]

बजेंद्र सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 21st January, 1984

S.O. 35(E)|18A|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 583(E)|18A|IDRA|77, dated the

23rd July, 1977 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the Industrial undertaking known as Messrs Priyalaxmi Mills, Baroda, Gujarat, was taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette, and the Gujarat State Textile Corporation was authorised to take over the management of the said industrial undertaking ;

And, whereas, by the Order of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 521(E)|18A|IDRA|82, dated the 22nd July, 1982, the period of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 22nd January, 1983;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 28(E)|18A|IDRA|83, dated the 19th January, 1983, the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 22nd July, 1983;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 15(E)|18A|IDRA|83, dated the 21st July, 1983 the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 21st January, 1984;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 21st July, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 21st July, 1984.

[File No. 3(4)|75-CUS]
BRIJENDRA SAHAY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984